न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 30/2021

प्रार्थी

विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच ग्राम पंचायत, काछौली तह. पिण्डवाडा ।
2. श्रीमती सीतादेवी पत्नि श्री जेठाजी जाति रेबारी निवासी खाखरवाडा ग्राम पंचायत काछौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा, अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

निर्णय दिनांक 25.03.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी दो के हक में पट्टा संख्या 50 दिनांक 07.03.2017 एवं प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 20.01.2017 क्षेत्रफल 900 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी सिरोही द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के हक मे विधि विरूद्ध पारित पट्टा संख्या 50 दिनांक 07.03.2017 एवं प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 20.01.2017 क्षेत्रफल 900 वर्गफीट का नियम 157(2) राजस्थान पंचायत राज.नियम 1996 के तहत् जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या दो अति निर्धन होने एवं अन्य कोई भूखण्ड नही होने का कोई उल्लेख नहीं है। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है । पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया है, इस कारण पंचायत को आर्थिक क्षति हुई है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो को जारी विक्र[illegible] सत्यापन जांच अधिकारी द्वारा किए जाने पर पट्टा भूमि स्थल पर अप्रा[illegible] का कोई कब्जा नहीं पाया गया, जिससे अप्रार्थी संख्या दो [illegible] नहीं रखता है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो को अ[illegible] अप्रार्थी संख्या एक द्वारा विधि विरूद्ध पट्टा संख्या 50 दिनांक 07.03.2017 को जारी किया गया है, ज[illegible] किए जाने योग्य है।

जिला कलेक्टर, सिरोही

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को नियम 157(2) के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। अप्रार्थी संख्या–दो द्वारा इस संबंध मे कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नही की गई है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो का ग्राम पंचायत खाखरवाडा में इस भूखण्ड के अलावा अन्य कोई भूखण्ड नहीं है एवं उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या दो का कच्चा केलुपोश मकान व झोंपडा कदीम से बना हुआ है, जिसका उपयोग एवं उपभोग अप्रार्थी संख्या दो द्वारा कदीम से किया जा रहा है। यह है कि प्रार्थी ने जानबूझकर गलत तथ्यों के आधार पर निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, खारिज किए जाने योग्य है। यह है कि ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्ध अनियमितता एवं गबन होने की शिकायत प्राप्त होने पर विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा इस संबंध में जांच करवाई गई एवं यह जांच ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्ध ही थी, जिसमें जाचंकर्ता ने बिना कोई मौका देखे गलत तथ्यों के आधार पर जांच की थी। यह है कि ग्राम पंचायत काछौली की ओर से प्रस्तुत उक्त पट्टे का नियमानुसार पंजीयन उपपंजीयक कार्यालय भावरी में करवाया गया है एवं उक्त पंजीयनशुदा दस्तावेज का सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त करवाए बगैर प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कानूनन परिपोषणीय नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलिभॉति अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत पट्टा संख्या 50 दिनांक 07.03.2017 को 900 वर्गफीट का जारी किया गया है। नियम 157(2) इस प्रकार है–

ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह/गृह स्थल नहीं है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी झोंपड़ी/कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 वर्गगज तक कब्जे के मुफ्त विनियमितीकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमि का पट्टा (प्ररूप 23ख में) ऐसी महिला के नाम से जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत काछौली द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी उक्त विवादित पट्टा नियम 157(2) के तहत जारी किया गया है, लेकिन अप्रार्थी संख्या दो का एक आवासीय मकान ग्राम खाखरवाडा में स्थित है। अप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि अप्रार्थी संख्या दो का उक्त भूखण्ड के अलावा किसी भी प्रकार का कोई भूखण्ड नहीं है एवं इसी भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या दो का कच्चा केलुपोश मकान व झोंपडा कदीम से बना हुआ है, परन्तु पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा की गई जांच रिपोर्ट में मौके पर गोबर के ढेर एवं कांटे रखे हुए है एवं अप्रार्थी संख्या [illegible] पक्का आवासीय मकान निर्मित है। इस सम्बन्ध में कार्यालय ग्राम पंचायत काछौली [illegible] तथ्यात्मक रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया है कि अप्रार्थी संख्या [illegible] संख्या 13 के रेबारीवास में पक्के आवासीय मकान में निवासरत है, [illegible] एवं विवादित पट्टे में अंकित चतुर्दशी अलग–अलग है, जिससे [illegible] होता है कि अप्रार्थी संख्या दो के पास ग्राम खाखरवाडा में अन्य मकान स्थित है [illegible] जिसमें वर्तमान में वह निवासरत है। कार्यालय ग्राम पंचायत काछौली द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ में भी यह स्पष्ट किया हुआ है कि अप्रार्थी संख्या दो का पक्का आवासीय मकान ग्राम खाखरवाडा में स्थित है एवं विवादित पट्टे की भूमि पर मौके पर गोबर व अन्य अपशिष्ट पदार्थ डाला हुआ है।

जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:17:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

इस प्रकार अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता का यह कथन, कि अप्रार्थी संख्या दो के पास उक्त विवादित भूखण्ड के अलावा अन्य कोई भूखण्ड नहीं है, मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) हेतु नियम 146 के अन्तर्गत भूमि का मौका निरीक्षण हेतु तीन वार्ड पंचों की मौका कमेटी का गठन कर मौका निरीक्षण में अप्रार्थी संख्या दो का पुराना कच्चा आवास बताया गया, जबकि जांच कमेटी द्वारा जांच करने पर मौके पर अप्रार्थी संख्या दो का किसी भी प्रकार कोई कब्जा नहीं पाया गया। यह है कि नियम 157(2) के तहत आवासहीन व भूमिहीन व्यक्ति को आबादी भूमि में विक्रय विलेख जारी करने का अधिकार है, परन्तु अप्रार्थी संख्या दो के पास आवासीय मकान मय भूखण्ड के होते हुए भी विक्रय विलेख जारी किया गया है, जिससे अप्रार्थी संख्या एक द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) का उल्लघंन किया जाना प्रतीत होता है। जहां तक अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता का कथन है कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा उक्त विवादित पट्टे को उपपंजीयक कार्यालय भावरी द्वारा पंजीयन करवाया गया है, परन्तु पत्रावली पर ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो यह साबित कर सके कि उक्त विवादित पट्टा उपपंजीयक कार्यालय भावरी द्वारा पंजीयनशुदा है। अतः उपरोक्त अनियमितताओं एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं फोटोग्राफ का अवलोकन से ग्राम पंचायत काछौली द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 50 दिनांक 07.03.2017 को यह न्यायालय न्यायसंगत नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत काछौली द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 50 दिनांक 07.03.2017 क्षेत्रफल 900 वर्गफीट को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:17:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner